Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 12 (2021)pp: 26-33
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

''बाल अपराध एक सामाजिक समस्या''

डॉ. रानू वर्मा
सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाविद्यालय, गोहपारू
जिला–शहडोल (म.प्र.)

***R**eceived 10 Dec, 2021; **R**evised 23 Dec, 2021; **A**ccepted 25 Dec, 2021 © The author(s) 2021.*
P**ublished with open access at **www.questjournals.org

बाल अपराध को परिभाषित करने से पूर्व अपराध से क्या संदर्भित है यह जानना आवश्यक होगा। अपराध शब्द अपने आप में इतना भयावह है कि जैसे ही हम इस शब्द को सुनते है वैसे ही हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई समाज विरोधी या कहें कि सामाजिक मूल्यों का हनन करने वाली विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया की रूपरेखा बन जाती है। जैसा की विदित है अपराध एक सार्वभौमिक मानव व्यवहार है एवं प्रत्येक समाज में किसी ना किसी प्रकार की विघटनकारी घटना अवश्य घटित होती है, जिसे हम अपराध कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में स्थापित शांति व व्यवस्था का हनन होता है। प्रत्येक समाज में अपराध से जुड़े हुए तथ्य अलग अवश्य हो सकते है, किन्तु यह तय है कि अपराध कारित होने से समाज में संस्थापित सामाजिक मूल्यों का तथा आदर्शो का पतन अवश्य होता है। अपराध समय व परिस्थितियों के साथ–साथ परिवर्तनशील होता है या कहा जा सकता है कि अपराध की प्रकृति समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है।

Key Words - अपराध, बाल अपराध, अपचारी, विघटनकारी, सामाजिक मूल्य –

'अल्बर्ट मोरिस' ने कहा कि समाज ही निश्चित करता है कि उचित क्या है अनुचित क्या है। 'टैपट' ने अपनी पुस्तक 'Criminology' में अपराध की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका प्रत्यक्ष संबन्ध 'सामाजिक विघटन' से है।

अतः कहा जा सकता है कि अपराध एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है, जिसके द्वारा समाज की शांति, व्यवस्था, प्रथाओं, आदर्शो व सामाजिक 'मूल्यों' जो कि समाजिक संरचना के आधार स्तंभ होते है, इनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता हैं साथ ही यह

समाज विरोधी व्यवहार सामाजिक स्थायित्व को नष्ट करने का प्रयास करता है। या यह कहा जा सकता है कि समाज विरोधी ऐसे कृत्य जिन्हें कारित वाले व्यक्ति के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया हो, उन्हें अपराध कहेंगे। अपराध भी कई प्रकार के हो सकते है, इनका वर्गीकरण निम्न रूपों में किया जा सकता हैः–

गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण :–

हल्के अपराध (Misdemeanour) – हल्के अपराधों में उन अपराधों को शामिल किया जा सकता है, जो अधिक गंभीर नहीं होते तथा इस प्रकार के अपराधों के लिए कारावास या जुर्माना भी कम रहता हैं इस प्रकार के अपराध के उदाहरण है – मद्यपान, लापरवाही से मोटर चलाना, जुआ आदि।

गम्भीर अपराध (Felony) – इस श्रेणी में ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है, जो अत्यधिक गम्भीर होते हैं। इस प्रकार के अपराधों हेतु आजन्म अथवा दीर्घकालीन कारावास, यहाँ तक कि मृत्यु–दण्ड तक की सजा दी जा सकती है। इस प्रकार के अपराध के उदाहरण हैं – हल्या करना, देश–द्रोह आदि।[1]

वर्तमान समय व समाज विशेष रूप से परिवर्तनशील है, नित्य प्रतिदिन नवीन सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आज लोग इन परिवर्तनों के अधीन होकर अपने नैतिक व सामाजिक मूल्यों का परित्याग करते चले जा रहे है। बात यदि भारतीय मूल्यों व संस्कृति की कि जाए तो आज से 40 या 50 वर्ष पूर्व जो भारतीय समाज की दशा व दिशा थी वह पूर्णरूपेण बदल चुकी है, अब हम भारतीय अपनी मूल संस्कृति को मूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे हैं जो कि हमारे लिए लाभदायी होने के साथ–साथ कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देने का कारक भी बन गई है। आज प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व प्रौद्योगिकीय ही क्यों ना हो सभी में निरंतर परिवर्तन के फलस्वरूप क्लिष्टता उत्पन्न हो रही है, जिन परंपराओं, प्रथाओं व मर्यादाओं में हम भारतीय बँधे थे वे सभी टूटते जा रहे है, फलतः दिखावे की दौड़ में आगे जाने के प्रयास में बहुत सी समाज विरोधी विघटनकारी प्रक्रियाओं व घटनाओं का जन्म हो रहा है, समाज में निरंतर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन अपराधों में वयस्कों के साथ ही बालकों की भूमिका भी निश्चित ही अध्ययन का विषय हो सकती है।

*Corresponding Author: डॉ. रानू वर्मा

बाल अपराध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बालकों या बच्चों के द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी व्यवहार या कार्य बाल अपराध की श्रेणी में आएंगे। अर्थात् जब बालकों के द्वारा असाामाजिक कार्य या व्यवहार किये जाएं, जो कि राज्य या तत्कालीन समाज के द्वारा अस्वीकृत हो, बाल अपराध कहें जाएंगे। बाल अपराध हेतु तत्कालीन समाज में लागू कानून के या राज्य द्वारा लागू नियमों के अंतर्गत आने वाली आयु सीमा महत्वपूर्ण होगी। सात वर्ष से सत्रह वर्ष तक की आयु के बच्चों के द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी कार्य बाल अपराध के अंतर्गत आएँगे। अपराध या बाल अपराध को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रत्येक समाज में कुछ स्थापित लक्ष्य होते हैं, साथ ही उन लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु कुछ सामाजिक साधन भी उपलब्ध होते हैं, जब इन लक्ष्यों और साधनों के बीच का तालमेल टूट जाता है या उन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तभी समाज में नियम हीनता पनपती है।[2] और यही निमय हीनता अपराध को जन्म देती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर पड़ता है, उसका आचरण विसंगति पूर्ण हो जाता है। अर्थात् नियमहीनता सांस्कृतिक लक्ष्यों व संस्थागत साधनों केबीच संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न व्यक्ति के प्रतिकूल आचरणों की एक अवस्था है।[3]

जब बालक को विभिन्न कारक यथा पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक प्रभावित करते हैं व उन पर पड़ने वाले प्रभावों का विपरीत असर उनको पथ से विचलित करते है तो विभिन्न प्रकार के बाल अपराधों का प्राकट्य होता है। वर्तमान समय की यदि बात की जाय तो आधुनिक सामाजिक परिवर्तन हेतु संचार के विभिन्न साधन जैसे टेलीविजन, मोबाइल आदि भी बाल अपराध को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं कई बार बच्चे भी सायबर क्राइम में संलिप्त हो जाते हैं, चूँकि बालमन पर किसी भी घटना या दृष्टान्त का विशिष्ट प्रभाव प्रड़ता है, अतः मोबाइल या चलचित्र के माध्यम से बहुत सारी अश्लील विषय वस्तुओं को परोसा जाता है, अतः बच्चों को उचित अनुचित का सही भान नहीं होता और बालकों पर उन सभी का विपरीत प्रभाव पड़ता है, फलस्वरूप बच्चे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अधिकांश बाल अपराध बच्चों के द्वारा उत्तेजना की अवस्था में किये जाते हैं या किसी परिस्थिति में पड़कर। बाल अपराध प्रत्येक समाज के लिए एक अभिशाप की भांति है चाहे वह भारतीय समाज हो या कही अन्यत्र का, बच्चे भविष्य की धरोहर होते हैं और उन पर संपूर्ण समाज व देश की आशाएँ टिकी होती है, वर्तमान समय में होने वाले व्यापक परिवर्तनों ने समाज की परिवार की व मानव विशेष की नैतिकता की जड़ो को कमजोर किया है, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक व वैयक्तिक पतन हुआ है, अनौपचारिक नियन्त्रण में कमी आई है और बालको के व्यवहारों में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है। ऐसे में बाल अपराधों की संख्या में वृद्धि होना अवश्यंभावी है।

*Corresponding Author: डॉ॰ रानू वर्मा

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्ञात होता है कि बाल अपराध वे कार्य है जो व्यक्ति, समूह या समाज को हानि पहुँचाए व जिस हेतु कानूनी कार्य करना आवश्यक हो।

विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा बाल अपराध को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है यथा–

- रॉबिन्सन ने कहा है कि आवारागर्दी, भीख माँगना, निरूद्देश्य इधर–उधर घूनमा, उद्ण्डता बाल अपराधी के लक्षण हैं।
- गिलिन एवं गिलिन के अनुसार– बाल अपराधी वह व्यक्ति है, जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक मानता है।

  मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बाल अपराध को एक व्यक्तिगत समस्या मानता है।
- फ्राइड लैडन के अनुसार– ''जब किसी बालक के व्यक्तित्व में ऐसी अभिवृत्ति विकसित होती है, जो उसे सामाजिक नियमों व कानूनों को तोड़ने की प्रेरणा देती है, तब उसे बाल अपराधी कहेंगे।''
- केवन के अनुसार– ''एक बाल अपराधी वह है जो आदतन रूप से कानूनों का उल्लंघन करता है, माता–पिता के आज्ञा का उल्लंघन करता है, और आदतन रूप से स्कूल से भाग जाता है एवं दूसरों को नुकसान पहुँचाता है।
- सेठना के अनुसार– ''बाल अपराध एक स्थान विशेष में कानून द्वारा निश्चित की गई, आयु सीमा के अंतर्गत कानून विरोधी कार्य में दोषी पाया जाना है।''

- संयुक्त राष्ट संघ के अनुसार– ''बाल अपराधी वह नव युवक अथवा नव युवती है, जिसने निश्चित आयु सीमा में कानून का उल्लंघन किया हो और बाल कल्याण जैसी विशेष संस्था के समक्ष पेश किया गया हो।

भारतीय दंड संहिता की धारा 82 से यह स्पष्ट होता है कि 07 वर्ष से कम आयु के बालक अपराधी नहीं हो सकते क्योंकि कानून उसे अपराध में सक्षम नहीं मानता। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियों में बालक की आयु 16 वर्ष एवं बालिका की आयु 18 वर्ष निर्धारित दी गई थी। संशोधन के पश्चात इस अधिनियम का नाम बदलकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 रखा गया। इस अधिनियम के अनुसार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए अधिकतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।[4] बाल अपराध को शब्दों की सीमाओं के अंतर्गत परिभाषित कर पाना निश्चित ही कठिन कार्य है, किन्तु फिर भी विभिन्न मतों व दृष्टिकोणों के द्वारा इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। निश्चित ही विभिन्न तीव्र सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन व प्रौद्योगिकीय परिवर्तन एवं सामाजिक नियन्त्रण में शिथिलता के फलस्वरूप बाल अपराध में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। चूँकि सामाजिक नियन्त्रण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक अन्तः क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने का काम करती है। अगर समाज में सामाजिक नियंत्रण न हो तो मानव व्यवहार अनियंत्रित हो जाएगा तथा सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी।[5] और इसी सामाजिक व पारिवारिक नियंत्रण की विशेष क्षीणता वर्तमान काल में देखने को मिल रही है आज माता–पिता व परिजनों का नियंत्रण बच्चों से हटता चला जा रहा है व बच्चे अपने स्वयं की पसंद व ना पसंद के अनुसार कार्य करते चले जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं बाल अपराध को जन्म देने के लिए उत्तरदायी कारक के रूप में समाज के सामने आ रहा हैं, अतः सामाजिक व पारिवारिक नियन्त्रण का ह्रास होना भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है। जहाँ पूर्व में अवस्थित समाजों में अपराध न के बराबर होते थे वहीं यदि बात वर्तमान समय की करें तो निरंतर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। व्यक्ति, समूह व सामाजिक संस्थाएँ अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होती जा रही हैं, निरंतर सामाजिक विघटन होता जा रहा है। जब मनुष्य अपने समाज व समूह के द्वारा निर्धारित पूर्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तो समाज विरोधी व्यवहार की ओर आकृष्ट हो जाता है, ऐसे में वैयक्तिक विघटन की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अपराधों का जन्म होता है। बाल अपराध भी एक प्रकार से वैयक्तिक विघटन का ही जीता जागता उदाहरण है जो भविष्य में पारिवारिक विघटन तथा सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी होता हैं बाल अपराध

भी कई प्रकार के होते है। हावर्ड बेकर (1966) के अनुसार प्रथम प्रकार है वैयक्तिक बाल अपराध इसमें एक बच्चा ही अपराध कारित करने के लिए जिम्मेदार होता है और अपराध होने का कारण भी उसी बालक में या व्यक्ति में ढूंढ़ा जाता है। मनोचिकित्सकों का तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तः क्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1956) ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अनपराधी भाई–बंधुओं से की तथा पाया कि 13.00 प्रतिशत अनपराधी भाई, बन्धुओं की तुलना में 90.00 प्रतिशत अपराधी किशोरो का जीवन दुःख भरा था, वे अपने जीवन व माता–पिता से असन्तुष्ट थे। दूसरा है समूह समर्पित बाल अपराध, इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध कई बालको के एक साथ मिलकर कारित किया जाता है। इसका कारण परिवार में न ढूँढ़कर आस पड़ोस के माहौल में ढूँढ़ा जाता है। तीसरा है संगठित बाल अपराध इस प्रकार के बाल अपराध संगठित होकर किये जाते हैं चौथा है, स्थितिजन्य बाल अपराध अर्थात् ऐसे अपराध विषम स्थितियों के कारण जन्म लेते है। बाल अपराध के कारणों की यदि बात करें तो कई प्रकार के कारण बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकते है यथा पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण भावात्मक कारण, शारीरिक कारण, सामुदायिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण व अपराधी स्वजनों का साथ में होना साथ ही बालको का अश्लील, चलचित्र व सायबर गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा संलिप्त होना। ये सभी कारण व इनके अतिरिक्त अन्य आवांछनीय कृत्यों में बच्चों का संलग्न होना बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकते है। यदि बालक किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है और कानून की नजरों में आकर पकड़ा जाता है तो ऐसे अपचारी बालकों के उपचारार्थ कौन–कौन सी विधियों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है।

*Corresponding Author: डॉ॰ रानू वर्मा

प्रथम विधि है बाल अपराध की मनोविकित्सा – मनोचिकित्सा के माध्यम से अपचारी बालक को चिकित्सक द्वारा स्नेह और स्वीकृति के द्वारा सुधारने का प्रयास किया जाता है। दूसरी विधि है यथार्थ चिकित्सा के अंतर्गत अपचारी बालक को उसके जिम्मेदारियों से उसे परिचित करवाकर उसे असामाजिक क्रियाओं से बचाने का प्रयास किया जाता है। तृतीय है व्यवहार चिकित्सा, उसके माध्यम से बालकों के नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। चतुर्थ है क्रिया चिकित्सा, इस विधि में बच्चों को खुले वातावरण में कुछ सृजनात्मक कार्य करवाये जाते है, जहाँ बालक अपनी मनोवृत्तियों को रचनात्मक मनोवृत्तियों में बदलना सीखता है। अंत में है परिवेश चिकित्सा इस विधि में बालकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ परिवेश या वातावरण देने का प्रयास किया जाता है, ताकि उनका विचलित व्यवहार समायोजित किया जा सके।

निश्चित ही बाल अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या हे एवं इसमें हर तबके के लोगों के बच्चे संलिप्त हो सकते है, ऐसा नहीं है कि केवल गरीबी, लाचारी या अन्य अभावग्रस्त जीवन से ग्रसित परिवारों के बच्चे ही अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं, वरन् अच्छे धनाड्य परिवारों के बालक भी कभी–कभी बाल अपराधी बन जाते हे। आवश्यकता है कि हम कैसे अपने बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें तथा ऐसे कौन–कौन से सार्थक उपाय करें, जिससे बच्चों को इन अपराधों में फसने से बचाया जा सके।

प्रथम उपाय हे कानून के माध्यम से बालकों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है राज्य के द्वारा बाल–अधिनियम और सुधारालय अधिनियम बनाये गये हें। सन् 1860 में ही भारतीय दण्ड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल न भेजकर रिफोर्मेटीज में भेजने का प्रावधान किया गया थां दण्ड विधान में यह स्वीकार किया गया कि बच्चों को दण्ड देने की बजाय उन्हें सुधारा जाना चाहिए द्वितीय उपाय है बाल न्यायालयों की स्थापना सन् 1960 के बाल अधिनियम के तहत भारत में बाल न्यायालय संस्थापित किये गये हैं सन् 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्यायालय अधिनियम 1986 ने ले लिया है, वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में बाल न्यायालय हैं। बच्चे के मन से पुलिस तथा न्यायालय के भय को दूर करने के लिए किसी भी मामले की सुनवाई के समय कोर्ट में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, माता–पिता तथा सादे पोशाक में पुलिस व वकील उपस्थित रहते है। बालकों के लिए अपराधी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अपचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपाय है सुधारात्मक संख्याओं एवं सुधारालयों की स्थापना करके अपचारी बच्चों को विभिन्न कौशल कार्यो का प्रशिक्षण देना ताकि वे वहाँ से बाहर निकलकर कुछ सृजनात्मक कार्य कर सके। इन रिमाण्ड क्षेत्र या सुधारात्मक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा व मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता हे। परिवीक्षा हॉस्टल में बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ–साथ उनके उपचार से संबंधित व्यवस्थाएँ भी की जाती हैं। बालक को अपराध से बचाने के लिए अन्य सामाजिक व पारिवारिक उपायों को अपनाया जा सकता है। बालक

*Corresponding Author: डॉ. रानू वर्मा

अपराध की ओर प्रवेश नहीं हो इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाएं, अश्लील साहित्य एवं दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगायी जाए। बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने में माता–पिता की मदद करने हेतु बाल सलाहकार केन्द्र गठित किये जाये ताकि संबंधित कार्मिकों की उचित प्रशिक्षण दिया जाए।[6]

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बाल अपराध संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिस हेतु वृहद पैमाने पर शासन व समाज को ध्यान देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने समाज को, अपने देश को अनभिज्ञ विनाशकारी पथ की ओर जाने से रोक सकें। क्योंकि आज के बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगें और यदि आज हम इन्हें कुमार्गी बनने से क्रूर व विश्वंसक कुसंस्कृति को अपनाने से रोक पाते हैं तो निश्चित ही हम अपने बच्चों के माध्यम से अपने समाज, संस्कृति व देश को स्वर्णिम भविष्य प्रदान करने में अहम भूमिका निभा सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अग्रवाल विमल,– समाजशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा 2019.
2. मर्टन आर.के. – सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, पृ.क्र.148
3. मुकर्जी रवीन्द्रनाथ,– समाजशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा, 2019. अग्रवाल भरत,
4. दुबे माधवीलता,– समाजशास्त्रीय निबन्ध, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, सं. 2019
5. पाण्डेय गणेश– समाजशास्त्र के सिद्धान्त, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण 2010
6. https://hi.m.wikipedia.org>wiki(google.com) Time 13:18 PM